

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 140/2015
संस्थित दिनांक-27.03.2015**

म.प्र. राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी अभियोगी

वि रु द्ध

जगदीश पिता हजारीलाल सरगरा, उम्र-67 वर्ष,
निवासी तलवाड़ा बुजुर्ग, थाना अंजड़, बड़वानी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)अभियुक्त

राज्य द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

--:: नि र्ण य ::--

(आज दिनांक 19/12/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 350/14 के आधार पर दिनांक 21.12.2014 को समय शाम 04:45 बजे स्थान पिपल्या डेब घाटी, उचावद रोड़ में लोकमार्ग पर वाहन महेन्द्र बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसकी टक्कर मोटरसाईकिल को मारकर सुखलाल एवं लक्ष्मण का जीवन संकटापन्न करने, लक्ष्मण को घोर उपहति कारित करने तथा सुखलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा-279, 338, 304-ए का अभियोग है ।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि बचाव पक्ष ने मृतक सुखलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 सही होना स्वीकार की है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2014 को अस्पताल चौकी बड़वानी पर वार्ड बाय प्रथमेश ने सुखलाल पिता बालु की दुर्घटना में मृत्यु की सूचना दी जिससे आधार पर पुलिस चौकी बड़वानी को मार्ग क्रमांक 0292/14 दर्ज कर जाँच करने पर यह पाया कि उक्त मृतक सुखलाल की मृत्यु ग्राम उचावद में महेन्द्र बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 से दुर्घटना हुयी है। उक्त दुर्घटना में लक्ष्मण को भी चोट आयी थी। बोलेरो पीकअप के चालक ने उसके वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लक्ष्मण की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी जिसमें लक्ष्मण को चोटें आयी और ईलाज के दौरान सुखलाल की मृत्यु हो गयी थी तथा लक्ष्मण को गंभीर चोटें

आयी थी। अतः उक्त वाहन चालक के विरुद्ध उक्त अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल से उक्त बोलेरो पीकअप को जप्त कर मृतक के शव का परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन बोलेरो पीकअप का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोग पत्र के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338, 304-ए, भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाएं एवं समझाएं जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है। बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

क्र.मांक	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.12.2014 को समय शाम 04:45 बजे, स्थान-पिपल्या डेब घाटी, उचावद रोड़ पर वाहन महेन्द्र बोलेरो क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1149 को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाया जिससे सुखलाल एवं लक्ष्मण का मानवजीवन संकटापन्न हो गया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर आहत लक्ष्मण को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर सुखलाल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: निष्कर्ष के कारण ::—

05. अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी संतोष काग (अ.सा.1), लक्ष्मण (अ.सा.2), राधेश्याम (अ.सा.3), तोताराम (अ.सा.4), बद्रीलाल (अ.सा.5), अनिल (अ.सा.6), पन्नालाल (अ.सा.7) पण्डू (अ.सा.8) श्यामलाल यादव (अ.सा.9) एवं डॉक्टर अमित नाईक (अ.सा.10) का परीक्षण कराया गया है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

06. प्रकरण में आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। लक्ष्मण अ.सा. 02 का कथन है कि वर्ष लगभग 02 वर्ष पूर्व वह तथा सुखलाल मोटरसाईकिल से ग्राम तलवाड़ा से उचावद दिन के लगभग 04:00-04:15 बजे मोटरसाईकिल से जा रहे थे। पिपल्या घाटी के पास एक सफेद रंग के वाहन ने उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी

जिससे वह दोनों मोटरसाईकिल सहित गिर गये और उन दोनों को चोटें आयी। वह भेहोश हो गया था तथा उसे बड़वानी अस्पताल में होश आये थे। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन सफेद रंग का पीकअप वाहन था लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त वाहन पर योगमाया ट्रेडर्स लिखा था। साक्षी ने स्पष्ट कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। यहा तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-02 का कथन भी देने से इंकार किया है।

07. संतोष (अ.सा.01), राधेश्याम (अ.सा.03), तोताराम (अ.सा.04), बट्टीलाल (अ.सा.05) तथा अनिल (अ.सा.06) ने भी पीकअप वाहन से दुर्घटना में लक्ष्मण को चोटें आने और सुखलाल की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि पीकअप वाहन वाला उसके वाहन को तेज गति से चला रहा था। उक्त किसी भी साक्षी ने पीकअप वाहन का नम्बर पुलिस को बताने से स्पष्ट इंकार किया है। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने पुलिस को कथन में वाहन का नम्बर बताने और उस पर योगमाया ट्रेडर्स लिखे होने से स्पष्ट इंकार किया है। यहा तक की साक्षियों ने पुलिस को उनका कथन भी देने से इंकार किया है। राधेश्याम (अ.सा.03) ने उसके पिता की लाश का पंचनामा तथा सूचना पत्र प्रदर्श पी-4, व प्रदर्श पी-5 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

08. डॉ.अमित नाईक (अ.सा.10) ने दिनांक 21.12.2014 को सॉई अस्पताल बड़वानी में आहत लक्ष्मण काग पिता उमाजी काग, निवासी उचावद को उसके पुत्र रामु के द्वारा दुर्घटना में चोटें होने से परीक्षण के लिये लाना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त आहत के दाहिने कंधे और बायी कलाई का एक्स-रे करने में उनमें फेक्चर होना पाया था जिसकी एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 भी साक्षी ने प्रमाणित की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल से गिरने से उक्त चोटें आना संभव है।

09. श्यामलाल यादव (अ.सा.09) का कथन है कि दिनांक 21.12.2014 को थाना अंजड़ में मृतक सुखलाल पिता बालु की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्रमांक 65/14 की डायरी जॉच हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षी संतोष और बट्टीलाल के कथन के आधार पर बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 350/14 को प्रदर्श पी-11 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उकसे हस्ताक्षर है। उसने बट्टीलाल की निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे। उसने आरोपी के पेश करने पर उक्त बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 और उसके दस्तावेज तथा आरोपी का लाईसेंस प्रदर्श पी-12 का अनुसार जप्त किये थे। उसने आरोपी को प्रदर्श पी-13 का सूचना पत्र दिया था तथा वाहन मालिक पन्नालाल द्वारा थाना प्रभारी अंजड़ को प्रदर्श पी-08 का आवेदन पत्र दिया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षी संतोष और बट्टीलाल ने उनके कथनों में वाहन का नम्बर तथा वाहन चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाने की बात नहीं बतायी है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने मृतक के परिवार को क्लेम दिलाने के लिये असत्य कार्यवाही की है।

10. पन्नालाल (अ.सा.06) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। उसके नाम से महेन्द्रा बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 है। उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं

हुयी थी किन्तु पुलिस ने उसका वाहन जप्त किया तो उसने न्यायालय से वाहन सुपुर्दगी पर लिया था। इस साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 21.12.2014 को उसका वाहन आरोपी चला रहा था और उसने ग्राम पिपल्या डेब घाटी पर एक मोटरसाईकिल वाले को टक्कर मार दी। यहा तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8, प्रदर्श पी-9 के आवेदन देने से भी इंकार किया है तथा साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह आरोपी से मिलकर असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके समाज के लोग दुकानों और वाहनों पर योगमाया लिखाते हैं, क्योंकि योगमाया उनके समाज की माता जी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपना वाहन स्वयं चलाता है और उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है।

11. पण्डू (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 28.12.2014 को उसने थाना परिषद् अंजड़ में वाहन क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 का मैकेनिकल परीक्षण किया था और प्रदर्श पी-10 का प्रतिवेदन दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त महेन्द्रा बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर सुखलाल एवं लक्ष्मण का जीवन संकटापन्न करने उक्त बोलेरो पीकअप की टक्कर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.09 एन.ई. 4724 को मारकर सुखलाल एवं लक्ष्मण को उपहति कारित करने एवं सुखलाल की मृत्यु ऐसे परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहा तक की घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त महेन्द्र बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 चलाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है और उसे उक्त अपराधों या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपीत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 279, 338, 304-ए भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने की संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महेन्द्र बोलेरो पीकअप क्रमांक एम.पी.46 जी-1149 उसके पंजीकृत स्वामी मेसर्स योगमाया ट्रेडर्स तलवाड़ा बुजुर्ग के प्रोपायटर पन्नालाल पिता भगवान जमादारी निवासी ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग, तहसील अंजड़ जिला-बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / -
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.